जोधपुर डिस्कॉम से सम्बद्ध बोर्ड, परिषदों एवं अन्य निकायों का विवरण जोधपुर डिस्कॉम से सम्बद्ध बोर्ड, परिषदों एवं अन्य निकायों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है-

अंशधारक- जोधपुर डिस्कॉम की स्थापना सार्वजनिक कम्पनी के रूप में की गयी है। वर्तमान में इसकी अंश पूंजी 203 करोड़ रुपये है। जोधपुर डिस्कॉम के अंशधारकों की संख्या 11 है। जोधपुर डिस्कॉम की समस्त अंश पूंजी राजस्थान सरकार के पास तथा उसके द्वारा नामित 10 प्रतिनिधियों के पास है। राज्य सरकार द्वारा नामित व्यक्तियों के पास केवल 10-10 रुपये का एक अंश है। अतः व्यवहारिक रूप से जोधपुर डिस्कॉम की सारी अंश पूंजी राजस्थान सरकार में ही निहित है।

कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत अंशधारकों को जो शक्तियां प्रदत्त हैं उनके अनुसार ही अंशधारकों की साधारण सभा कार्य करती है। अंशधारकों की साधारण सभा के द्वारा निदेशक मण्डल का गठन किया जाता है तथा निदेशकों की नियुक्ति की जाती है। उनके वेतन भत्ते आदि का निर्धारण भी अंशधारकों की सभा के द्वारा किया जाता है। वैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति भी अंशधारकों की वार्षिक सभा द्वारा किया जाता है। वार्षिक खातों को अंतिम रूप से अंशधारकों की सभा द्वारा ही स्वीकार किया जाता है। यदि लाभांश की घोषणा की जानी है तो उसके सम्बन्ध में भी अंशधारकों की सभा द्वारा ही निर्णय लिया जाता है। इनके अतिरिक्त जो विषय निदेशक मण्डल के क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं उन विषयों पर अंशधारकों द्वारा निर्णय लिया जाता है।

निदेशक मण्डल- जोधपुर डिस्कॉम का संचालन कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत निदेशक मण्डल द्वारा किया जाता है। निदेशक मण्डल की नियुक्ति राजस्थान सरकार द्वारा की जाती है। वर्तमान में इसके निदेशक मण्डल के सदस्यों का विवरण इस प्रकार से है-

1. श्री कुलदीप राका (आई.ए.एस.) - अध्यक्ष, 2. श्री बी.एल.खमेसरा - प्रबंध निदेशक 3. श्री नरेश पाल गंगवार (आई.ए.एस.) - निदेशक 4. श्री अभय कुमार (आई.ए.एस.) - निदेशक 5. श्री एम.एल. गुप्ता - निदेशक 6. श्री जी.एल. तिवांरी - निदेशक वित 7. श्री एस.एल.माथुर -निदेशक तकनीकी | कम्पनी अधिनियम के तहत निदेशक मंडल की कार्यशक्तियां निर्धारित की गयी हैं जिनके अनुसार निदेशक मण्डल की बैठकों में निर्णय लिये जाते हैं।

समन्वय समिति- राज्य के पाँचों विद्युत निगमों के क्रिया कलापों में समानता रहे इसके लिये राज्य स्तर पर पाँचों विद्युत निगमों के अध्यक्षों एवं प्रबंध निदेशकों की एक समन्वय समिति गठित की गयी है। समन्वय समिति द्वारा विद्युत निगमों की ओर से राज्य विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली याचिकाऐं एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श कर पांचों निगमों के लिये एक समान दिशा निर्देश निर्धारित किये जाते हैं।

जिला विद्युत समिति- राजीवगांधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना के तहत अब ग्रामीण विद्युतिकरण योजना के प्रस्ताव बनाने का कार्य जिला विद्युत समिति करती है। इसकी अध्यक्षता जिला कलक्टर करता है। जोधपुर डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता इस समिति के सदस्य सचिव होते हैं।

समझौता समितियाँ- विद्युत चोरी के अतिरिक्त अन्य मामलों राजस्व वसूली के सम्बन्ध में विवाद होने पर कोई भी उपभोक्ता जोधपुर डिस्कॉम द्वारा विभिन्न स्तरों पर गठित समझौता समितियों में अपना परिवेदना प्रस्तुत कर सकता है। इन समझौता समितियों को निम्नलिखित राशि तक के प्रकरण सुनने का अधिकार है-

समिति	विवादित राशि की सीमा	समिति का अध्यक्ष	निर्धारित शुल्क
उपखण्ड स्तरीय समझौता समिति	10,000 रुपये तक	सहायक अभियंता	50.00 रुपये
खण्ड स्तरीय समझौता समिति	25,000 रुपये तक	अधिशासी अभियंता	100.00 रुपये
वृत्त स्तरीय समझौता समिति	1,00,000 रुपये तक	अधीक्षण अभियंता	200.00 रुपये
संभाग स्तरीय समझौता समिति	3,00,000 रुपये तक	संभागीय मुख्य अभियंता	500.00 रुपये
मुख्यालय स्तर पर	3,00,000 रुपये से अधिक	प्रबंध निदेशक	3000.00 रुपये

जिला स्तरीय उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच- कोई भी विद्युत उपभोक्ता विद्युत सेवा सम्बमन्धी अथवा दो लाख रुपये तक की राजस्व राशि के राजस्व सम्बन्धी विवाद होने पर अपनी शिकायत जिला स्तरीय उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच में कर सकता है। किसी भी उपभोक्ता को समझौता समिति एवं उपभोक्ता शिकायत मंच में से किसे एक में अपना परिवाद प्रस्तुत करने की छूट है। इस मंच के समक्ष प्रस्तुत होते समय उपभोक्ता अपने वकील को साथ ला सकता है। जबकि समझौता समिति में वकील के अतिरिक्त किसी प्रतिनिधि को अपनी सहायता के लिये लाने का अधिकार है।

निगम स्तरीय उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच-

कोई भी विद्युत उपभोक्ता जिला स्तरीय उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के निर्णय से संतुष्ट न होने पर अथवा दो लाख रुपये से अधिक के राजस्व राशि के विवाद के मामले में अपनी शिकायत निगम स्तरीय उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच में कर सकता है।

ओम्बुड्समैन- कोई भी विद्युत उपभोक्ता निगम स्तरीय मंच के निर्णय से संतुष्ट न होने पर ओम्बुड्समैन के पास अपील कर सकता है।

उप जिला स्तर अभाव अभियोग समिति- सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं-

1. जिला प्रमुख अथवा उनके प्रतिनिधि, 2. सम्बन्धित पंचायत समिति के प्रधान, 3. नगर पालिका के अध्यक्ष/प्रशासक, 4. विकास अधिकारी, 5. जलदाय विभाग के सहायक अभियंता, 6. जिला कलक्टर द्वारा मनोनीत किसान समिमितियों के दो सदस्य, 7. उपखण्ड क्षेत्र के जिला परिषद के समस्त चयनित सदस्य, 8. जोधपुर डिस्कॉम के उपजिला से सम्बन्धित समस्त सहायक अभियंता, 9. जोधपुर डिस्कॉम का सहायक अभियंता (मुख्यालय, सदस्य-सचिव)।

जिले के सभी विधायक/सांसद उपजिला स्तर समिति की बैठकों में भाग लेना चाहें, तो विशिष्ट

अतिथि के रूप में भाग ले सकते हैं।

जिला स्तर अभाव अभियोग समिति- यह समिति जोधपुर डिस्कॉम का सम्बन्धित मुख्य/अतिरिक्त/उपमुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता की अध्यक्षता में गठित की गयी है। इसके समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं- 1. जिले के समस्त सांसद, 2. जिले के समस्त विधानसभा सदस्य, 3. जिला कलक्टर का प्रतिनिधि, 4. जिला प्रमुख अथवा उनका प्रतिनिधि, 5. जिले में पदस्थापित जोधपुर डिस्कॉम के समस्त अधीक्षण अभियंता (प.व.स.), 6. जिले में पदस्थापित जोधपुर डिस्कॉम के समस्त अधिशासी अभियंता (प.व.स.), 7. अध्यक्ष/कमिश्नर/सचिव/अधिशासी अधिकारी विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास/ नगर निगम/नगर पालिका, 8. मनोनीत सदस्य, जिला उद्योग केंद्र, 9. रीको के स्थानीय अधिकारी, 10. राजस्थान आवासन मण्डल के स्थानीय अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता, 11. जलदाय विभाग के स्थानीय अधीक्षण/अधिशासी अभियंता, 12. चेम्बर आॅफ काॅमर्स/उद्योग संस्थान के तीन पदाधिकारी, 13. अध्यक्ष द्वारा अधिकृत एवं अधिशासी अभियंता (प.व.स.)- सदस्य सचिव। यदि जिले में इस सम्बन्ध में कोई स्वयं सेवी संस्था कार्य कर रही हो तो उसके भी प्रतिनिधि जिला/उपखण्ड स्तरीय समितियों में जिला कलक्टर द्वारा मनोनीत किये जा सकते हैं।

उपरोक्त समितियों के माध्यम से कृषक एवं अन्य उपभोक्ता अपनी शिकायतें स्थानीय स्तर पर शीघ्र ही निपटवा सकते हैं।

राजस्थान राज्य विद्युत विनियामक आयोग- जोधपुर डिस्कॉम के लिये नीति निर्धारण, नियमों आदि का निर्माण, टैरिफ का निर्धारण, विभिन्न प्रकार के शुल्कों का निर्धारण आदि कार्य राजस्थान राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा किया जाता है। टैरिफ दर, अन्य प्रकार के शुल्क अथवा अन्य मामलों में जोधपुर डिस्कॉम के निर्णयों से संतुष्ट न होने पर राजस्थान राज्य आयोग में निर्धारित शुल्क के भुगतान के साथ नियमानुसार याचिका दायर की जा सकती है।

राजस्थान सरकार का ऊर्जा विभाग- राज्य सरकार की नीतियों के अनुसार राजस्थान सरकार का ऊर्जा विभाग समय - समय पर निर्देश परिपत्र, दिशा निर्देश आदि भिजवाता है। जिसके आधार पर योजना/कार्यक्रम/नीति आदि का निर्माण करके राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जाता है।

जांच आयुक्त- जोधपुर डिस्कॉम के अधिकारियों/कार्मिकों के विरुद्ध विभागीय जांच के जिन मामलों में विस्तृत जांच की आवश्यकता होती है, उनकी जांच के लिये उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को जांच आयुक्त नियुक्त किया जाता है ताकि विस्तृत एवं निष्पक्ष जांच की जा सके। जांच आयुक्त के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत करने के लिये जोधपुर डिस्कॉम द्वारा दो अथवा तीन अधीक्षण अभियंता/मुख्य अभियंता स्तर के सेवानिवृत्त अधिकारी को प्रेजेंण्टिंग ऑफिसर नियुक्त किया जाता है। यह आयुक्त अपनी जांच करके विस्तृत रिपोर्ट जोधपुर डिस्कॉम को प्रस्तुत करता है।